

**न्यायालय :- प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)**

**शृंखला न्यायालय बैहर**

(पीठासीन अधिकारी- वाचस्पति मिश्र)

**Filing No. MCA/339/2017**

**CNR-MP500/50023612017**

**Case No. MCA/15/2017**

**संस्थित दिनांक-14-10-2017**

1- कुमारीबाई आयु 50 वर्ष बेवा मुकेश

2- विरेन्द्र शिव आयु 30 वर्ष पिता मुकेश

3- प्रहलाद आयु 27 वर्ष पिता मुकेश

4- यादवेन्द्र आयु 25 वर्ष पिता मुकेश

सभी जाति कतिया निवासी-बिरसा तहसील बिरसा

जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **अपीलार्थीगण**

- / / **विरुद्ध** / / -

1- छन्नूलाल आयु 62 वर्ष पिता गेंदलाल जाति कतिया

2- रामेश्वर आयु 55 वर्ष पिता गेंदलाल जाति कतिया

निवासी-बिरसा तहसील बिरसा

जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **प्रत्यर्थीगण**

=====

{न्यायालय: व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, बैहर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, द्वारा व्य.वाद क. 61ए/2017 छन्नूलाल +1 बनाम कुमारीबाई वगैरह में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत है}

=====

श्री आर.आर. पटले अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री वाय.आर. चौधरी अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण।

=====

- / / / **आदेश** / / / -

(आज दिनांक **12 मई 2018** को घोषित)

1. अपीलार्थीगण द्वारा यह विविध अपील आदेश 43 नियम 1 सी.पी. सी. 1908 के अधीन विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2017 को पारित आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि मौजा बिरसा, प0ह0न0 44, रा0नि0मं0 तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 6/21, 6/22 रकबा 0.117

हेक्टेयर पर आक्षेपित नवीन निर्माण रोके जाने के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है।

2. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामला यह है कि वादग्रस्त भूमि मौजा बिरसा, प0ह0न0 44, रा0नि0मं0 तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा क्रमांक 6/21, 6/22 रकबा 0.117 हेक्टेयर उभयपक्ष की पैतृक भूमि का भाग है। प्रत्यर्थी पक्ष से यह कहा गया है कि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर बिना विभाजन के अपने अंश भाग से अधिक 40 फिट एरिया में नवीन निर्माण किया जा रहा है। उक्त संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु याचिका प्रस्तुत की गई है जिस पर उभयपक्ष के शपथपत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन कर विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त स्थल पर नवीन निर्माण, विभाजन कर अपने-अपने अंश भाग पृथक् किए जाने के पूर्व, निर्माण कार्य निषेधित किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि विचारण न्यायालय ने विधि एवं अभिलेख के परे जाकर आदेश पारित किया है जो अपास्तनीय है। यह आधार लिया गया है कि को-ओनर के विरुद्ध विधि के अंतर्गत स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

#### **अवधार्य प्रश्न :-**

क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2017 को पारित आक्षेपित आदेश विधि एवं अभिलेख के परे होने से अपास्त किए जाने योग्य है ?

#### **निष्कर्ष का आधार :-**

3. सर्वप्रथम अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में विधिक स्थिति की समीक्षा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। उक्त संबंध में माननीय अपेक्स कोर्ट ने मारिया के मामले में निम्न मार्गदर्शित सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

It is propounded by apex court in ratio **MARIA MARGARIDA SEQUEIRA FERNANDES ADN OTHERS V. ERASMO JACK DE SEQUEIRA (DEAD) THROUGH LRS** Lrs 2012 vol-5 SCC 370 Para-86 as following.

Three main principles govern the grant or refusal of injunction.

- (a) Prima facie case;
- (b) balance of convenience; and
- (c) irreparable injury

which guide the court in this regard. In the broad category of prima facie case, it is imperative for the court to carefully analyse the pleadings and the documents on record and only on that basis the court must be governed by the prima facie case. In grant and refusal of injunction, pleadings and documents play a vital role.

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर कोई नवीन निर्माण नहीं किया जा रहा है। अपितु पुराने मकान के स्थान पर नया निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उक्त निर्माण अपने अंश भाग के एरिया में ही किया जा रहा है। यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि के परे जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है। तर्क की संपुष्टि में गेंदालाल राठौर बनाम बीना बाई एम.पी.वी.नो. 1984 नोट नंबर 12 एवं सिराज अहमद बनाम छत्तीसगढ़ 2018 वाल्यूम (1) मनीसा 14 का अवलम्ब लिया है।

5. इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष के समर्थन में तर्क किया है।

6. विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। उभयपक्ष के मध्य वंशवृक्ष स्वीकृत तथ्य है। यह भी स्वीकृत है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि का भाग है। अभिलेख पर यह भी आया है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व अधिकारी के समक्ष विभाजन का वाद लम्बित है।

7. विधि यह है कि संयुक्त संपत्ति जब तक विधि के अनुसार प्रत्येक को-ओनर का अंश भाग विभाजन किया जाकर पृथक् नहीं कराया जाता तब तक कोई भी को-ओनर संयुक्त भूमि पर कोई नवीन निर्माण (Erect) नहीं किया जा सकता क्योंकि बिना विभाजन के निर्माण किए जाने पर अन्य को-ओनर का हित गंभीर रूप से प्रभावित होता है।

8. चूंकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अविभाजित है तथा विभाजन का वाद भी लम्बित है। अतः उक्त परिस्थितिजन्य दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है

कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित किए में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः प्रस्तुत विविध व्यवहार अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

9. आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर, संबंधित न्यायालय की ओर नतीजा दर्ज करने भेजी जावे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित ।  
दिनांक : मई 2018

मेरे बोलने पर मुद्रित ।

सही / —

**(वाचस्पति मिश्र)**

प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर.